"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 अगस्त 2005—श्रावण 14, शक 1927

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2005

शुद्धिपत्र

क्रमांक ई-1-2/2005/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश, दिनांक 16-6-2005 की कण्डिका-8 में श्री अजय सिंह, भा.प्र.से. को सचिव, नगरीय विकास विभाग तथा आयुक्त, नगरीय प्रशासन के पद पर पदस्थ किया गया है. कृपया उक्त आदेश की कण्डिका-8 की अंतिम पंक्ति में "आयुक्त, नगरीय प्रशासन" के स्थान पर "आयुक्त-सह-संचालक, नगरीय प्रशासन" पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2005

क्रमांक ई-7/03/2005/1/2.—सुश्री संगीता पी., भा. प्र. से., सहायक कलेक्टर, बिलासपुर को दिनांक 4-6-2005 से 15-6-2005 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. और यत: सुश्री संगीता पी., भा.प्र.से., को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी द्वारा प्रथम दौर के प्रशिक्षण पश्चात् दिनांक 3-6-2005 को कार्यमुक्त किया गया तथा इस विभाग के आदेश दिनांक 2-4-2005 को उन्हें सहायक कलेक्टर, बिलासपुर के पद पर पदस्थ किया गया.

3. और यत: सुश्री संगीता पी. को नियमानुसार देय पदभार ग्रहण अवधि (दिनांक 4-6-2005 से 12 दिन) का लाभ लेने के पश्चात् कार्यभार ग्रहण करना था किन्तु उनके द्वारा दिनांक 4-6-2005 से 15-6-2005 (12 दिवस) तक स्वयं के विवाह हेतु अर्जित अवकाश का लाभ उठाकर दिनांक 27-6-2005 को कार्यभार ग्रहण किया. अत: सुश्री संगीता पी. को अर्जित अवकाश के साथ दिनांक 16-6-2005 से 26-6-2005 तक (11 दिवस) कार्यभार ग्रहण अवधि जोड़ी जाती है.

4. अवकाश काल में सुश्री संगीता पी., भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री संगीता पी., भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहती.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विभा चौधरी, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 18 जुलाई 2005

क्रमांक 1007/32/2005/1/6.—राज्य शासन एतद्द्वारा वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-एक के सेक्शन-एक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी कार्यालय के लिए "संचालक प्रशासन अकादमी" को विभागाध्यक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. नायक, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 जुलाई 2005

क्रमांक 1984/1140/32/03.—एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उपधारा (2) के अंतर्गत राज्य शासन ने सूचना क्रमांक 1659/1140/32/2003 दिनांक 9-12-2004 द्वारा राजनांदगांव विकास योजना (उपांतरित) के अंतर्गत राजनांदगांव के मोहल्ला लालबाग के जी. ई. रोड स्थित उपांतरण प्रस्तावित किये गये हैं, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी. सूचना में उल्लेखित निश्चित् समयावधि के भीतर प्राप्त एक आपत्ति को व्यक्तिगत सुनवाई उपरांत अमान्य किया गया है.

अत: राज्य शासन एतद्द्वारा ग्राम राजनांदगांव, मोहल्ला लालबाग के जी. ई. रोड स्थित भू-खण्ड क्रमांक 239/1 घ, कुल रकबा 70,173 वर्ग फीट में से 56,932.90 वर्ग फीट की सूचना में किये गये उल्लेख अनुसार राजनांदगांव विकास योजना में निर्धारित उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक में उपांतरण करने की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण राजनांदगांव विकास योजना का एकीकृत भाग होगा.

रायपुर, दिनांक 18 जुलाई 2005

क्रमांक एफ 2-24/32/04.—एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उपधारा (2) के अंतर्गत राज्य शासन ने सूचना क्रमांक एफ 2-24/32/05 दिनांक 19-12-04 द्वारा रायपुर विकास योजना (उपांतरित) के अंतर्गत ग्राम सोनडोंगरी, कोटा, शंकर नगर में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किये गये हैं जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी. सूचना में उल्लेखित निश्चित् समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ.

विकास योजना के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल	अंगीकृत विकास योजना में निर्धारित उपयोग	उपांतरण प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सोनडोंगरी	651/1	0.093	आमोद प्रमोद एवं उद्यान	आवासीय
		651/2	0.065	आमोद प्रमोद एवं उद्यान	आवासीय
		654/1	0.207	आमोद प्रमोद एवं उद्यान	आवासीय
		656	0.223	आमोद प्रमोद एवं उद्यान	आवासीय
		682/4	0.024	आमोद प्रमोद एवं उद्यान	आवासीय
		657/1	0.190	आमोद प्रमोद एवं उद्यान	आवासीय
		659/1	0.366	आमोद प्रमोद एवं उद्यान	आवासीय
		662/5	0.817	आमोद प्रमोद एवं उद्यान	आवासीय
		663/1	0.262	आमोद प्रमोद एवं उद्यान	आवासीय
		665/2	0.065	आमोद प्रमोद एवं उद्यान	आवासीय
		666/1	0.206	आमोद प्रमोद एवं उद्यान	आवासीय
		667/2	0.127	आमोद प्रमोद एवं उद्यान	आवासीय
		667/4	0.069	आमोद प्रमोद एवं उद्यान	आवासीय
		668	0.312	आमोद प्रमोद एवं उद्यान	आवासीय
		669/1	0.121	आमोद प्रमोद एवं उद्यान	आवासीय
		669/2	0.040	आमोद प्रमोद एवं उद्यान	आवासीय
2.	कोटा	15/1	0.667	आमोद प्रमोद एवं उद्यान	आवासीय
		15/2	0.405	आमोद प्रमोद एवं उद्यान	आवासीय
		15/3	0.154	आमोद प्रमोद एवं उद्यान	आवासीय
		15/4	0.239	आमोद प्रमोद एवं उद्यान	आवासीय
		15/5, 15/22	0.809	आमोद प्रमोद एवं उद्यान	आवासीय
		15/9, 15/10	3.032	आमोद प्रमोद एवं उद्यान	आवासीय
		15/14	1.804	आमोद प्रमोद एवं उद्यान	आवासीय
		15/21	0.187	आमोद प्रमोद एवं उद्यान	आवासीय
		15/23	0.065	आमोद प्रमोद एवं उद्यान	आवासीय
		16	0.020	आमोद प्रमोद एवं उद्यान	आवासीय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		17	0.008	आमोद प्रमोद एवं उद्यान	आवासीय
		18	0.004	आमोद प्रमोद एवं उद्यान	आवासीय
		116/2	0.086	आमोद प्रमोद एवं उद्यान	आवासीय
		116/7	0.216	आमोद प्रमोद एवं उद्यान	आवासीय
		116/9	0.162	आमोद प्रमोद एवं उद्यान	आवासीय
		116/10	0.190	आमोद प्रमोद एवं उद्यान	आवासीय
		116/11	0.172	आमोद प्रमोद एवं उद्यान	आवासीय
		117/1	0.109	आमोद प्रमोद एवं उद्यान	आवासीय
		117/2	0.105	आमोद प्रमोद एवं उद्यान	आवासीय
		118/1	0.044	आमोद प्रमोद एवं उद्यान	आवासीय
		118/2	0.045	आमोद प्रमोद एवं उद्यान	आवासीय
		119	0.085	आमोद प्रमोद एवं उद्यान	आवासीय
		120/1	0.140	आमोद प्रमोद एवं उद्यान	आवासीय
		120/2	0.121	आमोद प्रमोद एवं उद्यान	आवासीय
		120/3	0.061	आमोद प्रमोद एवं उद्यान	आवासीय
		120/4	0.036	आमोद प्रमोद एवं उद्यान	आवासीय
		121/1	0.136	आमोद प्रमोद एवं उद्यान	आवासीय
3.	शंकरनगर	1185/1 थ	1.331	आमोद प्रमोद एवं उद्यान	आवासीय
		1211/1 क	1.011	आमोद प्रमोद एवं उद्यान	आवासीय
		1320/1 क		आमोद प्रमोद एवं उद्यान	आवासीय
			14.631	आमोद प्रमोद एवं उद्यान	आवासीय

अतः राज्य शासन एतद्द्वारा सूचना में किये गये उल्लेख अनुसार रायपुर विकास योजना में उपांतरण करने की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण रायपुर विकास योजना (उपांतरित) का एकीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

वित्त तथा योजना विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2005

क्रमांक एफ-8-1/2004/23/वि. यो.—सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-8-1/2004/1/एक, दिनांक 21-6-2005 एवं इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-07-2004 के अनुक्रम में राज्य शासन एतद्द्वारा जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 की धारा-4 उपधारा (3) (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गयी सारणी के कॉलम-2 में विनिर्दिष्ट मंत्रि-परिषद्

के सदस्यों को सारणी के कालम-3 में विनिर्दिष्ट जिला योजना समिति के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट करता है, जो समिति के अध्यक्ष भी होंगे, अर्थात् :—

क्र. (1)	मंत्री-परिषद् के सदस्यों का नाम (2)	जिला योजना समिति (3)
1.	डॉ. रमन सिंह मुख्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, जन शिकायत निवारण, ऊर्जा, जनसम्पर्क, विमानन, खनिज साधन.	बस्तर
2.	श्री बृजमोहन अग्रवाल मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, राजस्व एवं पुनर्वास, विधि और विधायी कार्य, संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व.	धमतरी उत्तर बस्तर-कांकेर
3.	श्री अमर अग्रवाल मंत्री, वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, वाणिज्यिक कर, 20 सूत्र कार्यान्वयन, नगरीय प्रशासन.	रायगढ़
4.	श्री अजय चन्द्राकर मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, संसदीय कार्य, उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन विभाग.	रायपुर
5.	श्री रामविचार नेताम मंत्री, गृह, जेल, सहकारिता.	कोरबा, जशपुर
6.	श्री ननकीराम कंवर मंत्री, कृषि, पशुपालन, मछलीपालन, वन.	महासमुंद, कवर्धा
7.	श्री गणेशराम भगत मंत्री, आवास एवं पर्यावरण, आदिमजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक विकास.	जांजगीर-चांपा
8.	श्री मेघाराम साहू मंत्री, स्कूल शिक्षा, खेल एवं युवक कल्याण.	राजनांदगांव

(1)	(2)	(3)
9.	श्री हेमचन्द यादव मंत्री, जल संसाधन, आयाकट, श्रम, परिवहन.	बिलासपुर
10.	श्री राजेश मूणत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लोक निर्माण, वाणिज्य और उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम, ग्रामोद्योग.	दुर्ग
11.	डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा.	सरगुजा
12.	श्री केदार कश्यप राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी.	दक्षिण बस्तर-दंतेवाड़ा
13.	सुश्री लता उसेंडी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण.	कोरिया

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्र. कु. बिशी, विशेष सचिव.

परिवहन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2005

संकल्प क्रमांक 17, दिनांक 20-5-2005

क्रमांक एफ-5-8/दो/आठ-परि/2004.—सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत टीप का अवलोकन किया. तदानुसार सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिलासपुर से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 68 (3) (सी-ए) में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य परिवहन प्राधिकार, छत्तीसगढ़ एतद्द्वारा बिलासपुर क्षेत्रान्तर्गत संचालन हेतु

निम्नानुसार विनिर्दिष्ट मार्गों का विनिर्माण (Route Formulation) करता है :—

क्र.	मार्ग का नाम	व्हाया
1.	अंबिकापुर से जशपुर	सीतापुर, पत्थलगांव, तमता, कांसावेल
2.	पत्थलगांव से जशपुर	तमता, कांसाबेल
3.	अंबिकापुर से बासेन	रघुनाथपुर, बतौली, सीतापुर, सरगा
4.	अंबिकापुर से गिरहुलडीह	रघुनाथपुर, सीतापुर, गेरसा
5.	अंबिकापुर से गुमरडीह	रघुनाथपुर, लुण्ड्रा, पटोरा, धौरपुर
6.	अंबिकापुर से महादेवडाड़	रघुनाथपुर, बतौली, बिलासपुर बिगड़ा, जुजगू
7.	सरभंजा से बाल्को	पत्थलगांव, धरमजयगढ़, हांटी, उरगा, कोरबा
8.	जशपुर से सकरडेगा	आरा
9.	गजगा से जशपुर	मनोरा
10.	सरभंजा से बाल्को	कमलेश्वरपुर, सीतापुर, पत्थलगांव, धरमजयगढ़, हाटी
11.	जशपुर से पैकू	घोलेन, आमाडीह
12.	बिलासपुर से जशपुर	पामगढ़, शिवरीनारायण, सरसींवा, कोसीर
13.	सरायपाली से कटघोरा	बोईदा, हारदीबाजार, दीपका, तिवरता, रंजना, चैतमा
14.	सकरी से नवागढ़	बिलासपुर, नांदघाट, नवागढ़
15.	बाल्को से कवर्धा	कोरबा, कटघोरा, पाली, रतनपुर, कोटा, लोरमी, पंडरिया
16.	माटीपहाड़ से बगीचा	पण्ड्रीपानी, दाकड़ा, बंदरचुआ, कुनकुरी, नारायणपुर
17.	सीतापुर से रायगढ़	कापू, खम्हार, धर्मजयगढ़, घरघोड़ा, रायगढ़, तमनार
18.	कमतरा से मिलुपारा	खड़ीपहाण, कटघोरा, रायगढ़, तमनार
19.	अंबिकापुर से डंडगांव	सीतापुर, पत्थलगांव, कुनकुरी, तमनार
20.	पेण्ड्रा से पोडीउपरोडा	कुदरी, कोटमी, पसान, लौंगा, जटबा, तुमान, बिंझरा, कटघोरा.
21.	सुपकालो से धरमजयगढ़	कापू, खम्हार
22.	नवागढ़ से मुंगेली	गाड़ागोड़
23.	चंगोरी से ससहा	अकलतरा, पामगढ़
24.	सक्ति से पुरुंगा	खरसिया, छाल, हाटी
25.	रायगढ़ से पिथौरा	चन्द्रपुर, सारंगढ़, सरसींवा, बसना
26.	अंबिकापुर से जनकपुर	सूरजपुर, बैकुंठपुर, नागपुर, मनेन्द्रगढ़, केलहारी
27.	उदरा से उदयपुर	बिर्रा, असकला, अंबिकापुर
28.	बाल्को से रामानुजगंज	कोरबा, कटघोरा, मोर्गा, उदयपुर, लखनपुर, अंबिकापुर, राजपुर, बलरामपुर.
29.	घुटरीटोला से रामानुजगंज	मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर, सूरजपुर, अंबिकापुर, राजपुर, बलरामपुर
30.	घुटरीटोला से धनवार	मनेन्द्रगढ़, बैकुण्ठपुर, सूरजपुर, अंबिकापुर, वाड्रफनगर
31.	फरसाटोली से खरसिया	कोतबा, लुडेग, पत्थलगांव, धरमजयगढ़, हाटी
32.	छर्रा से पत्थलगांव	कोतबा, बागबहार
33.	डोंगरीपाली से सारंगढ़	बरमकेला, दनसरा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल टुटेजा, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2005

क्रमांक एफ-8-5/2005/11/6.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल, कोरबा (पश्चिम), कोरबा के बायलर क्रमांक एम. पी./3656 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 16-06-2005 से दिनांक 13-07-2005 तक की छूट प्रदान करता है :—

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के सबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गेबनुस खलखो, अवर सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 14 जुलाई 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 24/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध

में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	गढ़उमरिया प.ह.नं. 23	0.493	प्राचार्य किरोड़ीमल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नॉलाजी, रायगढ़.	के. आई. टी. हेतु भू-अर्जन

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 18 जुलाई 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/26/अ-82/04-05/15/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक एक की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (1) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	बनियागांव प.ह.नं. 50	0.994	कार्यपालन यंत्री टी. डी. पी. पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर.	तारापुर जलाशय योजना

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जगदलपुर/कार्यपालन यंत्री टी. डी. पी. पी. जल संसाधन विभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 18 जुलाई 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/27/अ-82/04-05/15/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक एक की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (1) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	टलनार प.ह.नं. 50	0.185	कार्यपालन यंत्री टी. डी. पी. पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर.	तारापुर जलाशय योजना

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जगदलपुर/कार्यपालन यंत्री टी. डी. पी. पी. जल संसाधन विभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 18 जुलाई 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/29/अ-82/04-05/15/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक एक की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (1) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	छुरावण्ड प. ह. नं. 36	1.20	कार्यपालन यंत्री टी. डी. पी. पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर.	कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत डूबान क्षेत्र हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जगदलपुर/कार्यपालन यंत्री टी. डी. पी. पी. जल संसाधन विभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 30 जून 2005

क्रमांक-35/भू-अर्जन/05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 1 के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	ढिटोरी प.ह.नं. 22	4.734	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6 सक्ती जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.).	कर्रापाली माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 30 जून 2005

क्रमांक-36/भू-अर्जन/05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 1 के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	कुरूडीह प.ह.नं. 23	1.199	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6 सक्ती जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.).	मुकुन्दपुर माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 30 जून 2005

क्रमांक-37/भू-अर्जन/05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा (4) की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 1 के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	सराईपाली प.ह.नं. 21	0.805	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6 सक्ती जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.).	सोहागपुर माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 1 जुलाई 2005

क्रमांक-38/भू-अर्जन/05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 1 के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	कर्रापाली प.ह.नं. 22	1.673	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6 सक्ती, जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.).	कर्रापाली माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 1 जुलाई 2005

क्रमांक-39/भू-अर्जन/05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 1 के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	उमरेली प.ह.नं. 21	0.400	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6 सक्ती जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.).	टुण्ड्रा माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 1 जुलाई 2005

क्रमांक-40/भू-अर्जन/05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 1 के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	उमरेली प.ह.नं. 21	0.469	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6 सक्ती जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.).	सोहागपुर माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 1 जुलाई 2005

क्रमांक-41/भू-अर्जन/05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 1 के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	कुरूडीह प.ह.नं. 23	0.725	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6 सक्ती जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.).	सोहागपुर माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 21 जुलाई 2005

क्रमांक-89/अ-82/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	चेचानमेटा प.ह.नं. 35	13.44	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग वेमेतरा.	ओड़िया जलाशय के निर्माण में.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, साजा जिला दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 21 जुलाई 2005

क्रमांक-90/अ-82/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 04 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	मुड़िया प.ह.नं. 36	37.70	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग बेमेतरा.	मुड़िया जलाशय के निर्माण में.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, साजा जिला दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 21 जुलाई 2005

क्रमांक-91/ले. पा./भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	पेण्ड्रावन प.ह.नं. 29	1.19	कार्यपालन यंत्री, लोक नि. विभाग, संभाग बेमेतरा.	नवकेशस से गांडाडीह मार्ग

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 21 जुलाई 2005

क्रमांक-92/ले. पा./भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	गांडाभाठा प.ह.नं. 23	7.08	कार्यपालन यंत्री, लोक नि. विभाग, संभाग बेमेतरा.	मोहतरा से देऊरगांव मार्ग

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 5 अप्रैल 2005

क्रमांक/2221/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अंबागढ़ चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-हाथी कन्हार, प. ह. नं. 107/111
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.108 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
118	0.381
150/3	0.202

(1)	(2)
158/1	0.159
161/2	0.235
179/2	0.048
192	0.137
180/5,6,8	0.143
181	0.088
191/2	0.151
193/1	0.194
194	0.034
196/1	0.036
196/2	0.220
198/7	0.080
योग 14	2.108

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बैराज के कान्हें माइनर नहर निर्माण हेतु (हाथी कन्हार)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, (मोंगरा परियोजना) जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 16 मार्च 2005

क्रमांक क 2245/भू-अर्जन/01/अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-नगरी
- (ग) नगर/ग्राम-परसापानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.24 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
4	0.33
16	0.08
15	0.06
14	0.03
13	0.12
208	0.20
19	0.11
10	0.01
206	0.17
202/1	0.13
योग 10	1.24

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहमल्ला जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 16 मार्च 2005

क्रमांक क 2237/भू-अर्जन/04/अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-नगरी
- (ग) नगर/ग्राम-गोंदलानाला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.87 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
33/1	0.32
13/6	0.25
27/3	0.08
27/6	0.12
10	0.10
योग 5	0.87

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गोंदलानाला जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 16 मार्च 2005

क्रमांक 2242/भू-अर्जन/07/अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम,, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-नगरी
- (ग) नगर/ग्राम-मोहमल्ला.रै. वा.
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.40 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
32	0.04
33	0.31
34/6	0.10
34/7	0.20
34/1	0.38
35/1	0.75
35/2	0.38
39/1	0.03
39/2	0.11
40	0.24
51	0.65
37/1	0.50
52	0.45
37/2	0.26
योग 14	4.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहल्ला जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 16 मार्च 2005

क्रमांक क 2239भू-अर्जन/09/अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-नगरी
- (ग) नगर/ग्राम-गट्टासिल्ली रै. वा.
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.03 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
39/3	0.27

	(1)	(2)
	41	0.30
	38	0.10
	37	0.71
	36	0.04
	32	0.13
	26/5	0.06
	20/5	0.06
	25/1	0.01
	25/2	0.04
	19/8	0.12
	19/7	0.07
	19/6	0.04
	19/5	0.07
	20/4	0.06
	8	0.95
योग	16	3.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन् जिसके लिए आवश्यकता है-बटनहर्रा जलाशय क्रमांक-2 के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 16 मार्च 2005

क्रमांक क 2241/भू-अर्जन/10/अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-धमतरी
- (ग) नगर/ग्राम-लीलर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.90 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	666	0.01
	665	0.01
	664	0.04
	661	0.22
	643	0.24
	645	0.12
	646	0.02
	636	0.01
	635	0.03
	630	0.02
	94	0.06
	632	0.04
	631	0.12
	611	0.02
	113	0.06
	65	0.06
	612	0.04
	609	0.01
	608	0.03
	594/1	0.02
	594/2	0.01
	602	0.02
	601	0.01
	597	0.12
	598	0.06
	97	0.28
	89	0.24
	88	0.07
	66	0.06
	119	0.02
	36	0.02
	86	0.01
	62	0.14
	75	0.11
	67	0.11
	64	0.06
	52	0.10
	50	0.06
	39	0.08
	40	0.07
	27	0.07
योग	40	2.90

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मोहलई व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 16 मार्च 2005

क्रमांक क 2249/भू-अर्जन/11/अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-नगरी
- (ग) नगर/ग्राम-जोराडबरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.20 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	24	0.69
	23	0.47
	18/2	0.02
	21	0.02
योग	4	1.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गोहाननाला जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक़्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 16 मार्च 2005

क्रमांक क 2247/भू-अर्जन/12/अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-नगरी
- (ग) नगर/ग्राम-बटनहर्रा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.73 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	8/14	0.22
	8/15	0.22
	7/32, 8/17	0.22
	7/33	0.09
	7/25, 47, 51, 8/22, 8/10	0.29
	7/30	0.20
	7/28, 39, 8/18	0.25
	7/27, 8/19	0.12
	7/73	0.20
	7/37, 38, 52	0.37
	7/19, 22, 56, 8/2,4,5	0.19
	7/9,13,55, 8/6,7,23	0.10
	7/7	0.10
	7/20	0.01
	7/15	0.15
योग	15	2.73

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहमल्ला जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 16 मार्च 2005

क्रमांक क 2235/भू-अर्जन/25/अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धमतरी

(ख) तहसील-नगरी

(ग) नगर/ग्राम-कांटाकुर्रीडीह

(घ) लगभग क्षेत्रफल-13.00 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1320	0.08
1325	1.33
1321	0.98
1322	0.05
1324	0.85
1326	0.07
1327	1.19
1328	0.48
1351	0.70
1353	0.17
1350	0.30
1352	0.55
1362	0.02
1363	2.20
1364	2.50
1365	1.53
योग 16	13.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कांटाकुर्रीडीह जलाशय के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. जैन, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH BILASPUR

Bilaspur, the 30th July 2004

NOTIFICATION

No. 271/III-1-11/2001.—The High Court of Chhattisgarh has been pleased to declare that in addition to the regular place of sittings in the Court premises for Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrates, their place of sittings on all Saturdays shall be Jail premises also during the Court hours.

Bilaspur, the 9th September 2004

ORDER

No. 327/Confdl./2004/II-3-1/2004.—The High Court of Chhattisgarh, hereby, posts the following candidates, appointed on probation as Civil Judges Class-II in the Cadre of Chhattisgarh Lower Judicial Service by the State Government, in the capacity and at the place shown against their respective names in the table below with a direction to join their place of posting by the date as already ordered by the State Government in their appointment orders:—

TABLE

Sl. No.	Name of Civil Judge Class-II	Posting As & At
1.	Shri Yashvant Kumar Sarthi	I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Bilaspur.
2.	Shri Rajendra Kumar Verma	II Civil Judge Class-II, Jagdalpur
3.	Shri Manoj Kumar Prajapati	IV Civil Judge Class-II, Jagdalpur
4.	Shri Ajit Kumar Rajbhanu	IX Civil Judge Class-II Raipur

Bilaspur, the 9th September 2004

ORDER

No. 329/Confdl./2004/II-2-90/2001 (Pt.II).—Shri R. K. Behar, Member of Higher Judicial Service presently posted as District & Sessions Judge, Raipur is transferred from Raipur and posted as Officer-on-Special Duty on the establishment of the High Court of Chhattisgarh at Bilaspur with a direction to join at his new place of posting by 13th of September 2004 positively.

Bilaspur, the 9th September 2004

ORDER

No. 331/Confdl./2004/II-2-1/2004.—The High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints Shri Sandeep Bakshi, Special Judge under Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Raipur as Officiating District & Sessions Judge, Raipur until further orders in addition to his present assignment as Special Judge from the date he assumes charge of his new assignment. As soon as regular District & Sessions Judge will be appointed at Raipur, Shri Sandeep Bakshi shall automatically revert to his original post.

The High Court of Chhattisgarh, hereby, also appoints Shri Sandeep Bakshi as Sessions Judge for Raipur Sessions Division under Section 9(2) of the Code of Criminal Procedure until further orders. As soon as regular Sessions Judge will be appointed for the Raipur Sessions Division, Shri Sandeep Bakshi shall automatically revert to his original post.

Bilaspur, the 10th September 2004

ORDER

No. 335/Confdl./2004/II-3-1/2004.—The High Court of Chhattisgarh, hereby, posts Ku. Swarnalata Tirki, appointed on probation as Civil Judges Class-II in the Cadre of Chhattisgarh Lower Judicial Service by the State Government, as II Civil Judge Class-II at Janjgir with a direction to join her place of posting by the date as already ordered by the State Government in her appointment order.

Bilaspur, the 15th September 2004

ORDER

No. 343/Confdl./2004/II-2-1/2004.—The following Members of Higher Judicial Service mentioned in Column No. (2) are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office; and

The following Members of Higher Judicial Service, who have been posted as District Judge of Civil District concerned are appointed as Sessions Judges of the Sessions Divisions and who have been posted as Special Judges and Additional District Judges in the Civil District concerned are appointed as additional Sessions Judges for their respective Sessions Division as mentioned in Column No. (5) and from the date they assume charge of their Office.

TABLE

S. No. (1)	Name (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri G. C. Bajpai	Raipur	Jashpurnagar	Jashpur	District Judge, Jashpur
2.	Shri Radheshyam Sharma	Durg	Korba	Korba	District Judge, Korba
3.	Shri Alok Jha	Raipur	Bilaspur	Bilaspur	Special Judge under SC& ST (Prevention of Atrocities) Act, Bilaspur.
4.	Shri Budh Ram Nikunj	Raipur	Durg	Durg	Special Judge under SC & ST (Prevention of Atrocities) Act, Durg.

Bilaspur, the 15th September 2004

ORDER

No. 349/Confdl./2004/II-2-1/2004.—The following Members of Higher Judicial Service Mentioned in Column No. (2) are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office; and

The following Members of Higher Judicial Service, who have been posted as District Judge of Civil District concerned are appointed as Sessions Judges of the Sessions Divisions and who have been posted as Special Judges and Additional District Judges in the Civil District concerned are appointed as additional Sessions Judges for their respective Sessions Division as mentioned in Column No. (5) and from the date they assume charge of their Office.

TABLE

S. No. (1)	Name (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri C. B. S. Patel	Bilaspur	Dantewara	Dakshin Bastar	District Judge, Dantewara.
2.	Shri Raghubir Singh	Jashpur	Raipur	Raipur	District Judge, Raipur.
3.	Shri Hira Singh Markam	Dantewara	Ambikapur	Surguja	Dirstrict Judge, Ambikapur.
4.	Shri Sandeep Bakhsi	Raipur	Kawardha	KabirDham	District Judge, Kawardha.
5.	Shri Arvind Kumar Shrivastava	Raipur	Raipur	Raipur	Special Judge under SC & ST (Prevention of Atrocities) Act, Raipur.
6.	Shri Anand Kumar Beck	Jegdalpur	Raipur	Raipur	I Additional District & Sessions Judge, Raipur.
7.	Shri Vijay Bushan Singh	Janjgir	Raipur	Raipur	V Additional District Judge, Raipur.

By Order of the High Court,
VIJAY KUMAR SHRIVASTAVA, Registrar General.

Bilaspur, the 28th September 2004

ORDER

No. 367/Confdl./2004/II-15-66/2001 (Pt.II).—The following newly appointed Civil Judges Class-II as specified in column no. 2 presently posted at the places specified in column no. 3 of the table below are directed to report in the Judicial Officers' Training Institute (J. O. T. I.), High Court of Chhattisgarh, High Court Campus, Bilaspur on 03-10-2004 at 4.00 p.m. for the first part of institutional training to be held from 04-10-2004 to 18-10-2004 for 15 days

and on 25-10-2004 at 4.00 p.m. for the second part of institutional training from 26-10-2004 to 09-11-2004 for 15 days to receive further instructions from the Director, J. O. T. I. :—

The following Judicial Officers are also directed to maintain the dress code prescribed for Civil Judges during the training and to bring with them the following law books :—

1. Civil Procedure Code
2. Rules & Orders, Civil & Criminal
3. The Evidence Act
4. The Indian Penal Code
5. Criminal Procedure Code
6. The Limitation Act
7. Chhattisgarh Excise Act

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Civil Judge Class-II (2)	Posted as & at (3)
1.	Shri Prafull Sonwani	II Civil Judge Class-II, Durg
2.	Ku. Sanghpushpa Bhatpahari	III Civil Judge Class-II, Durg
3.	Shri Sheikh Ashraf	I Civil Judge Class-II, Bilaspur
4.	Shri Liladhar Sarthi	I Civil Judge Class-II, Ambikapur
5.	Shri Alok Kumar	II Civil Judge Class-II, Ambikapur
6.	Ku. Ranju Rautari	II Civil Judge Class-II, Bilaspur
7.	Shri Omprakash Singh Chauhan	III Civil Judge Class-II, Rajnandgaon
8.	Shri Santosh Kumar Aditya	I Civil Judge Class-II, Raipur
9.	Ku. Sangita Shukla	IV Civil Judge Class-II, Bilaspur
10.	Smt. Leena Agrawal	II Civil Judge Class-II, Raipur
11.	Shri Pankaj Kumar Jain	I Civil Judge Class-II, Raigarh
12.	Shri Pankaj Kumar Sinha	V Civil Judge Class-II, Bilaspur
13.	Shri Harish Kumar Awasthi	IV Civil Judge Class-II, Raipur
14.	Ku. Shraddha Shukla	VI Civil Judge Class-II, Bilaspur
15.	Ku. Madhu Mishra	V Civil Judge Class-II, Raipur
16.	Ku. Garima Arya	VI Civil Judge Class-II, Raipur
17.	Shri Yashvant Kumar Sarthi	I Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Bilaspur.
18.	Shri Nratyanjay Singh Patel	II Civil Judge Class-II, Raigarh
19.	Shri Rajendra Kumar Verma	II Civil Judge Class-II, Jagdalpur
20.	Shri Manoj Kumar Prajapati	IV Civil Judge Class-II, Jagdalpur
21.	Shri Ajit Kumar Rajbhanu	IX Civil Judge Class-II, Raipur
22.	Ku. Sunita Sahu	VI Civil Judge Class-II, Durg
23.	Shri Yashwant Wasnikar	VII Civil Judge Class-II, Raipur
24.	Ku. Kirti Dan Xalxo	III Civil Judge Class-II, Ambikapur
25.	Shri Niranjan Lal Chauhan	III Civil Judge Class-II, Raigarh
26.	Smt. Usha Gendle	VIII Civil Judge Class-II, Raipur
27.	Ku. Swarnalata Tirki	II Civil Judge Class-II, Janjgir
28.	Smt. Sunita Toppo	IV Civil Judge Class-II, Ambikapur
29.	Shri Purushottam Singh Markam	VIII Civil Judge Class-II, Bilaspur

It is further directed that if any of the above mentioned trainee Civil Judges has not completed the one month's first field training, they shall be required to undergo the remaining part of first field training Between 19-10-2004 to 22-10-2004 at the District Headquarter.

Bilaspur, the 29th September 2004

NOTIFICATION

No. 370/Confdl./2004/II-1-1/2004 (Pt.B).—It is hereby notified that pursuant to Notification No. K-13030/ 2/ 2004-US-II dated 23-09-2004 of Government of India, Ministry of Law & Justice, (Department of Justice), New Delhi, Hon' ble Shri Justice Vijay Kumar Shrivastava has assumed charge of the office of Judge of the High Court of Chhattisgarh at Bilaspur in the forenoon of 27th September 2004.

Bilaspur, the 21st October 2004

NOTIFICATION

No. 109/I-7-3/2004.—The High Court of Chhâttisgarh is pleased to declare the 22nd of October, 2004 as holiday for the High Court as well as for the Subordinate Courts of this State on account of "Maha Navmi"

Bilaspur, the 25th October 2004

ORDER

No. 394/Confdl./2004/II-3-1/2004.—The High Court of Chhattisgarh, hereby, posts Shri Mahesh Kumar Raj, appointed on probation as Civil Judges Class-II in the Cadre of Chhattisgarh Lower Judicial Service by the State Government, as Xth Civil Judge Class-II at Raipur with a direction to join his place of posting by the date as already ordered by the State Government in the appointment order.

Bilaspur, the 2nd November 2004

NOTIFICATION

No. 111/I-7-3/2004.—The High Court of Chhattisgarh is pleased to declare the 10th of November 2004 as holiday for the High Court as well as for the Subordinate Courts of the State on account of "Dhan Teras".

Bilaspur, the 3rd November 2004

ORDER

No. 409/Confdl./2004/II-15-66/2001 (Pt.II).—Shri Mahesh Kumar Raj, Xth Civil Judge Class-II, Raipur is directed to join the institutional training in the Judicial Officers' Training Institute (J. O. T. I.), High Court of Chhattisgarh, High Court Campus, Bilaspur from 04th November 2004 to 09th November 2004.

Bilaspur, the 5th November 2004

NOTIFICATION

No. 112/I-7-3/2004 (Pt.Ist).—It is hereby notified that the following are the Vacations, Holidays of the High Court of Chhattisgarh for the Year 2005.

Summer Vacation : Monday 16th May to Friday 10th June, 2005
Winter Holidays : Monday 26th December to Saturday 31st December, 2005

S.No.	Name of Holidays	No. of Holidays	Dates as per Gregorian Calendar	Days of the week
1.	New Year Day	1	01-01-2005	Saturday
2.	Id-Ul-Zuha	1	21-01-2005	Friday
3.	Republic Day	1	26-01-2005	Wednesday
4.	Mahashivratri	1	08-03-2005	Tuesday
5.	Good Friday	1	25-03-2005	Friday
6.	Holi	1	26-03-2005	Saturday
7.	Ambedkar Jayanti	1	14-04-2005	Thursday
8.	Mahavir Jayanti/Milad-Un-Nabi	1	22-04-2005	Friday
9.	Budha Purnima	1	23-05-2005	Monday
10.	Independence Day	1	15-08-2005	Monday
11.	Raksha Bandhan	1	19-08-2005	Friday
12.	Janmashtami	1	26-08-2005	Friday
13.	Pitramoksha Amavasya	1	03-10-2005	Monday
14.	Dushera Holidays	5	10-10-2005 to 14-10-2005	Monday to Friday
15.	Deepawali & Id-Ul-Fitr Holidays	6	31-10-2005 to 05-11-2005	Monday to Saturday

Notes :—

1. All the Sundays are declared holidays for the High Court and Registry including the Sundays falling during Summer Vacation.

2. The Saturdays Falling on 8th January, 2005, 15th January, 2005, 12th February 2005, 19th February 2005, 12th March 2005, 19th March 2005, 9th April 2005, 16th April 2005, 14th May 2005, 21st May 2005, 11th June 2005, 18th June 2005, 9th July 2005, 16th July 2005, 13th August, 2005, 20th August 2005, 10th September 2005, 17th September 2005, 8th October 2005, 15th October 2005, 12th November 2005, 19th November 2005, 10th December 2005 and 17th December 2005, shall be closed Saturdays for the High Court and Registry.

3. Moharram dated 20-02-2005, Ram Navami dated 17-04-2005, Gandhi Jayanti dated 02-10-2005, Guru Ghasidas Jayanti dated 18-12-2005 and Christmas dated 25-12-2005 fall on Sunday, therefore no Holiday is declared separately.

4. All Saturdays, which are not declared holidays and which are not included in summer vacation, are non-working Saturdays for the High Court.

5. The High Court shall remain closed from 16-05-2005 to 10-06-2005 on account of Summer Vacation and from 26-12-2005 to 31-12-2005 on account of Winter Holidays but the Registry will continue to work during Summer Vacation and Winter Holidays, except on Sundays and the Holidays.

6. Holidays declared on account of Id-Ul-Zuha, Moharram, Milad-Un-Nabi and Id-Ul-Fitr are subject to change depending upon the visibility of the Moon. If the State Government declares any change in these dates thorugh TV/AIR/Newspaper, the same will be followed.

7. The officers and employees of the High Court Establishment shall be entitled to avail of three optional holi days in the year, out of the list of optional holidays as may be declared by the State Government for the year 2005.

Bilaspur, the 8th November 2004

ORDER

No. 418/Confdl./2004/II-2-1/2004.—The following Members of Higher Judicial Service mentioned in Column No. (2) are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office; and

The following Members of Higher Judicial Service are also appointed as Additional Sessions Judges under Section 9(3) of the Code of Criminal Procedure in the Sessions Division as mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their Office.

TABLE

S. No. (1)	Name (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri T.K. Jha, Special Judge under SC & ST (P.A.) Act, Ambikapur.	Ambikapur	Dantewara	Dakshin Bastar (Dantewara)	Additional District & Sessions Judge Dantewara in place of Shri Firulal Unjan.
2.	Shri Firulal Unjan, Additional District & Sessions Judge, Dantewara	Dantewara	Jagdalpur	Bastar (Jagdalpur)	II Additional District & Sessions Judge, Jagdalpur in the vacant Court.
3.	Shri Arun Kumar Pradhan, President, District Consumer Disputes Redressal Forum, Rajnandgaon (On repatriation)	Rajnand-gaon	Bilaspur	Bilaspur	III Additional District & Sessions Judge, Bilaspur in place of Shri M.D. Mahilkar.

Bilaspur, the 8th November 2004

ORDER

No. 420/Confdl./2004/II-2-1/2004.—Shri Hira Singh Markam, District & Sessions Judge, Surguja at Ambikapur, in addition to his own duties, shall also be the Special Judge under SC & ST (Prevention of Atrocities) Act, Surguja at Ambikapur after making over charge of the post of Special Judge under SC & ST (Prevention of Atrocities) Act, Surguja at Ambikapur by Shri T. K. Jha.

Bilaspur, the 3rd December 2004

NOTIFICATION

No. 453/Confdl./2004/II-1-1/2004 (Pt. C).—It is hereby notified that pursuant to Notification No. K-13030/5/2004-US.II dated 25-11-2004 of Government of India, Ministry of Law, Justice & Company Affairs, (Department of Justice), New Delhi, Hon'ble Shri Justric Dhirendra Mishra and Hon'ble Shri Justice Sunil Kumar Sinha have assumed charge of the office of the Hon'ble Judges of the High Court of Chhattisgarh at Bilaspur in the forenoon of 1st December 2004.

By Order of Hon'ble the Chief Justice.
RAM KRISHNA BEHAR, Registrar General.

Bilaspur, the 21st February 2004

ORDER

No. 38/Confdl./2004/II-2-90/2001.—On the request of Shri Binaya Kumar Shrivastava, Registrar General, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur, Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers conferred by Article 229 (2) of the Constitution of India and the Rules framed thereunder, has been pleased to discontinue with effect from 29-02-2004 A. N. the extension granted to him beyond the age of 60 years and upto 31-12-2005 vide High Court Registry Order No. 398/Confdl./2003/II-2-90/2001 dated 12-12-2003.

By Order of Hon'ble the Chief Justice.
T. K. JHA, Registrar (Vigilance).

Bilaspur, the 2nd September 2004

ORDER

No. 316/Confdl./2004/II-3-1/2004.—The High Court of Chhattisgarh, hereby, posts the following candidates, appointed on probation as Civil Judges Class-II in the Cadre of Chhattisgarh lower Judicial Service by the State Government, in the capacity and at the place shown against their respective names in the table below with a direction to join their place of posting by the date as already ordered by the State Government in their appointment orders :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Civil Judge Class-II (2)	Posting As & At (3)
1.	Shri Prafull Sonwani	IInd CJ Cl-II, Durg
2.	Ku. Sanghpushpa Bhatpahari	IIIrd CJ Cl-II, Durg

(1)	(2)	(3)
3.	Shri Sheikh Ashraf	Ist CJ Cl-II, Bilaspur
4.	Shri Liladhar Sarthi	Ist CJ Cl-II, Ambikapur
5.	Shri Alok Kumar	IInd CJ Cl-II, Ambikapur
6.	Ku. Ranju Rautrai	IInd CJ Cl-II, Bilaspur
7.	Shri Omprakash Singh Chauhan	IIIrd CJ Cl-II, Rajnandgaon
8.	Shri Santosh Kumar Aditya	Ist CJ Cl-II, Raipur
9.	Ku. Sangita Shukla	IVth CJ Cl-II, Bilaspur
10.	Smt. Leena Agrawal	IInd CJ Cl-II, Raipur
11.	Shri Pankaj Kumar Jain	Ist CJ Cl-II, Raigarh
12.	Shri Pankaj Kumar Sinha	Vth CJ Cl-II, Bilaspur
13.	Shri Harish Kumar Awathi	IVth CJ Cl-II, Raipur
14.	Ku. Shraddha Shukla	VIth CJ Cl-II, Bilaspur
15.	Ku. Madhu Mishra	Vth CJ Cl-II, Raipur
16.	Ku. Garima Arya	VIth CJ Cl-II, Raipur
17.	Shri Nratyanjay Singh Patel	IInd CJ Cl-II, Raigarh
18.	Ku. Sunita Sahu	VIth CJ Cl-II, Durg
19.	Shri Yashwant Wasnikar	VIIth CJ Cl-II, Raipur
20.	Ku. Kirti Dan Xalxo	IIIrd CJ Cl-II, Ambikapur
21.	Shri, Niranjan Lal Chauhan	IIIrd CJ Cl-II, Raigarh
22.	Smt. Usha Gendle	VIIIth CJ Cl-II, Raipur
23.	Smt. Sunita Toppo	IVth CJ Cl-II, Ambikapur
24.	Shri Purushottam Singh Markam	VIII CJ Cl-II, Bilaspur

Bilaspur, the 2nd September 2004

ORDER

No. 320/Confdl./2004/II-15-66/2001.—Shri D. R. Deshmukh, Member of Higher Judicial Service presently posted on deputation as Legal Advisor to H. E. the Governor of Chhattisgarh, Raipur is posted as Director of Judicial Officers' Training Institute. High Court of Chhattisgarh, Bilaspur from the date he assumes charge of his office.

Bilaspur, the 27th September 2004

ORDER

No. 364/Confdl./2004/II-2-90/2001 (Pt. II).—Shri Ram Krishna Behar, Member of Higher Judicial Service presently posted as Officer-on-Special Duty on the establishment of the High Court of Chhattisgarh at Bilaspur is appointed as Registrar General of the High Court of Chhattisgarh at Bilaspur from the date he assumes charge of his Office.

By Order of Hon' ble the Chief Justice,
J.K.S. RAJPUT, Registrar (Vigilance).